भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3576
सोमवार, 11 अगस्त, 2025/ 20 श्रावण, 1947, (शक)

ई-श्रम पोर्टल, वन स्टॉप सॉल्यूशन

3576. श्री सतपाल ब्रह्मचारी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ई-श्रम पोर्टल के माध्यम से असंगठित श्रमिकों को लाभान्वित करने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने पंजीकरण, हेल्पलाइन नंबर और विभिन्न योजनाओं के लाभों के बारे में जानकारी के लिए 'ई-श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन' केंद्र स्थापित करने हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ग) यदि हाँ, तो देश में अब तक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार स्थापित ऐसे केन्द्रों की संख्या सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या हरियाणा के सोनीपत लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में ऐसा केंद्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): श्रम और रोजगार मंत्रालय ने असंगठित कामगारों का आधार के साथ जुड़ा एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस (एनडीयूडब्ल्यू) तैयार करने हेतु दिनांक 26 अगस्त 2021 को ई-श्रम पोर्टल (eshram.gov.in) आरंभ किया है। ई-श्रम पोर्टल का उद्देश्य असंगठित कामगारों को स्व-घोषणा के आधार पर एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) प्रदान करके पंजीकृत करना और उनकी सहायता करना है।

दिनांक 5 अगस्त 2025 तक की स्थिति के अनुसार, 30.98 करोड़ से अधिक असंगठित कामगार पहले ही ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करा चुके हैं।

असंगठित कामगारों की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच बनाने हेतु ई-श्रम को "वन-स्टॉप-सॉल्यूशन" के रूप में विकसित करने संबंधी बजट घोषणा, 2024-25 के विज़न को ध्यान में रखते हुए, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने दिनांक 21 अक्टूबर 2024 को ई-श्रम- "वन-स्टॉप-सॉल्यूशन" का शुभारंभ किया। ई-श्रम -"वन-स्टॉप-सॉल्यूशन" में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा/कल्याण योजनाओं को एक ही पोर्टल अर्थात ई-श्रम पर एकीकृत किया गया है। यह ई-श्रम पर पंजीकृत असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुँच बनाने और ई-श्रम के माध्यम से उनके द्वारा अब तक उठाए गए लाभों को देखने में सक्षम बनाता है।

जारी/2---

अब तक विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की चौदह (14) योजनाओं को उनके लाभों को विस्तारित करने और सामाजिक सुरक्षा तक पहुंच प्राप्त करने के लिए ई-श्रम के साथ एकीकृत/मैप किया जा चुका है, जिनमें प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएमएसवीएनिधि), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (एनएफबीएस), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई- जी), आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई), प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी (पीएमएवाई-यू), प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई), प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान), वन नेशन वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी) और प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना (पीएमएमवीवाई) शामिल हैं।

उपर्युक्त के अलावा, ई-श्रम को प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम), राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस), स्किल इंडिया डिजिटल हब (एसआईडीएच), नए युग के शासन के लिए एकीकृत मोबाइल एप्लिकेशन (उमंग), डिजिटल लॉकर (डिजिलॉकर), माईस्कीम और ओपन गवर्नमेंट डेटा प्लेटफॉर्म (ओजीडी) के साथ भी एकीकृत किया गया है।

कोई भी असंगठित कामगार ई-श्रम पर पंजीकरण और इससे जुड़े लाभों के बारे में जानकारी के लिए अपने संबंधित राज्य/जिला श्रम विभाग से संपर्क कर सकता है। इसके अलावा, मंत्रालय ने असंगठित कामगारों की सहायता के लिए राष्ट्रीय हेल्पडेस्क/हेल्पलाइन नंबर 14434 भी शुरू किया है।

ई-श्रम पोर्टल, पंजीकरण प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए स्व-पंजीकरण के साथ-साथ सहायता प्राप्त पंजीकरण के माध्यम से पंजीकरण के कई तरीके प्रदान करता है। स्व-पंजीकरण में ई-श्रम पोर्टल और नए युग के शासन के लिए एकीकृत मोबाइल एप्लिकेशन (उमंग) मोबाइल ऐप के माध्यम से पंजीकरण शामिल है। सहायता प्राप्त पंजीकरण में सामान्य सुविधा केन्द्रों (सीएससी) और राज्य सेवा केंद्रों (एसएसके) के माध्यम से पंजीकरण शामिल है। देश भर में 4 लाख से अधिक सीएससी केंद्रों पर पंजीकरण सुविधा उपलब्ध है। राज्य सेवा केंद्रों को भी इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा, सीएससी, कामगारों को संगठित करने के लिए विभिन्न स्थानों पर जागरूकता शिविर आयोजित करता है।

******